

## फर्द अहकाम

### कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री भेरा  
किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- श्रीमती कंकु  
पत्रावली संख्या : 48/21

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण  | हस्ताक्षर पार्टी<br>तथा सूचनाएं<br>जारी की गईं |
|---------|--|--|
|         | <p>दिनांक : 15.03.2022</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1 से 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;"><b>—: आदेश :—</b></p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आवलियों का कुंआ पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 1807/474 किता 1 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि के चारों दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूलक पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदार की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रवणसिंह राठौड)<br/>सहायक कलक्टर<br/>(SDO)मावली</p> |  |

